रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 622] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 10, 2010/कार्तिक 19, 1932

No. 622] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 10, 2010/KARTIKA 19, 1932

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 2010

सा.का.नि. 901(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा (संशोधन) नियम, 2010 है ।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा नियम, 1962 में,-

   (i) नियम 5 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

   "5 प्राधिकृत स्वीकृत संख्या-(1) प्रत्येक काडर में, 3 अक्तूबर, 2003 को सेवा के दो ग्रेडों की प्राधिकृत स्वीकृत संख्या, दूसरी अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट होगी ।

   (2) प्रत्येक काडर में 3 अक्तूबर, 2003 के पश्चात् सेवा के दो ग्रेडों की प्राधिकृत स्वीकृत संख्या वह होगी, जो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित की जाए ।";

   (ii) नियम 12 के उपनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(1) 3 अक्तूबर, 2003 को अवर श्रेणी ग्रेड सेवा की सीधी भर्ती कोटा के अधीन सभी रिक्त पद (जिनमें से अब तक 80 % कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर तथा 5 % उत्कृष्ट खिलाड़ियों में से कर्मचारी चयन आयोग द्वारा चयन के आधार

पर भरी जाती थी) उत्सादित की जाएंगी और 3 अक्तूबर, 2003 के पश्चात् प्रत्येक काडर में अवर श्रेणी ग्रेड के पूर्वोक्त प्रवर्गों में आने वाले रिक्त पदों का पचासी प्रतिशत काडर नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक वर्ष उत्सादित किया जाता रहेगा जब तक ग्रेड में प्राधिकृत स्वीकृत संख्या प्रत्येक काडर में 3 अक्तूबर, 2003 को प्राधिकृत स्वीकृत संख्या के पंद्रह प्रतिशत के स्तर तक नहीं लाई जाती तथा प्रत्येक वर्ष बची हुई संख्या में शेष रिक्ति प्रत्येक काडर में अवर श्रेणी ग्रेड में निम्नलिखित रीति में, केन्द्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा में भागीदार मंत्रालयों और कार्यालयों के नियमित स्थापनों द्वारा धारित 1800 रु0 ग्रेड वेतन वाले समूह 'ग' कर्मचारियों की नियुक्ति द्वारा भरे जाएंगे, अर्थात् :--

(क) उक्त रिक्तियों के सत्तर प्रतिशत अनुपयुक्त को अस्वीकृत, करने के अधीन रहते हुए, उन समूह 'ग' कर्मचारियों में से भरे जाएंगे जिनकी न्यूनतम योग्यता समूह 'ग' पदों के लिए माडल भर्ती नियमों में यथा विहित दसवीं उत्तीर्ण या समतुल्य अर्हता है और जिन्होंने ग्रेड वेतन 1800 रु0 वाले समूह 'ग' के पदों पर कर्मचारी के रूप में तीन वर्ष से अन्यून नियमित सेवा की हो ।

(ख) उक्त रिक्तियों पदों का तीस प्रतिशत कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संचालित, समूह 'ग' कर्मचारिवृंद के लिए, सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भरा जाएगा जिसमें समूह 'ग' कर्मचारी, जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से बारहवीं स्तर या उसे समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण की है और 1800 रु0 के ग्रेड वेतन में समूह 'ग' कर्मचारी के रूप में तीन वर्ष से अन्यून नियमित सेवा की हो, सम्मिलित होने के योग्य होंगे ।

(iii) नियम 12क और नियम 12ख का लोप किया जाएगा ;

(iv) नियम 17 के, उपनियम (3) में शीर्षक "2 अवर श्रेणी ग्रेड" और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"2 अवर श्रेणी ग्रेड"

ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता निम्नलिखित रीति में विनियमित की जाएगी, अर्थात् :--

(क) जो नियम 12 के उपनियम (1) के खंड (क) के अधीन नियुक्त किए गए हैं, निम्नत्तर ग्रेड में उनके क्रम में परस्पर रैंक में रखे जाएंगे ;

(ख) जो नियम 12 के उपनियम (1) के खंड (ख) के अधीन नियुक्त किए गए हैं, कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यथा सिफारिश के क्रम में परस्पर रैंक में रखे जाएंगे ;

(ग) खंड (क) और खंड (ख) में निर्दिष्ट व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता, प्रत्येक काडर प्राधिकारी द्वारा रखे गए किसी रोस्टर के अनुसार, दोनों समूहों में से प्रत्येक के लिए नियत कोटा के अनुसार, खंड (क) में निर्दिष्ट सात व्यक्तियों से प्रारंभ करते हुए उपर्युक्त खंड (ख) से तीन व्यक्तियों द्वारा अनुसरण करके और इसी प्रकार विनियमित की जाएगी ।";

(v) दूसरी अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :--

" [नियम 5 का उपनियम (1) देखें]

03.10.2003 को प्रत्येक काडर यूनिट में केंद्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा के दो ग्रेडों की प्राधिकृत स्वीकृत संख्या

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	03.10.2003 को केंद्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा की उच्च श्रेणी लिपिकों की स्वीकृत संख्या	03.10.2003 को केंद्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा की अवर श्रेणी लिपिकों की स्वीकृत संख्या
1	कृषि और सहकारिता	243	247
2	नागर विमानन	86	86
3	कोयला	17	17
4	वाणिज्य	184	185
5	कारपोरेट कार्य	29	29
6	उपभोक्ता मामले	18	17
7	रक्षा	197	198
8	शिक्षा	246	246
9	पर्यावरण और वन	71	72
10	व्यय	371	364
11	उर्वरक	51	54
12	खाद्य और सार्वजनिक वितरण	83	82
13	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	237	237
14	गृह मंत्रालय	550	568
15	औद्योगिक नीति और संवर्धन	244	237
16	सूचना और प्रसारण	421	420
17	श्रम	164	164
18	विधि कार्य	62	63
19	खान	29	30
20	पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	27	27
21	योजना आयोग	99	94
22	डाक	82	83
23	विद्युत	163	163
24	ग्रामीण विकास	54	53
25	सड़क परिवहन और राजमार्ग	88	78
26	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	71	70
27	इस्पात	31	32
28	आपूर्ति	255	254

29	सामाजिक न्याय और अधिकारिता	61	64
30	दूर संचार	212	217
31	संघ लोक सेवा आयोग	260	259
32	शहरी विकास	472	488
33	जल संसाधन	199	199
	कुल	5377	5397"

[फा. सं. 9/1/2005-सी.एस. II]

राजीव मांझी, उप-सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 20 सितंबर, 1962 में सा.का.नि. सं.1306, तारीख 28 सिबंतर, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा उनमें पश्चातवर्ती संशोधन किए गए :--

क्र0 सं0	अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि.	तारीख
1	2	तारीख...................... 19......;
2	231	तारीख 21 फरवरी, 1976 ;
3.	1182	तारीख 30 मार्च, 1978 ;
4.	451	तारीख 1 जनवरी, 1980 ;
4.	5	तारीख 28 अप्रैल, 1980 ;
5.	926	तारीख 13 सितंबर, 1980 ;
6.	161	तारीख 18 फरवरी, 1980 ;
7.	463	तारीख 21 जून, 1980 ;
8.	56	तारीख 3 फरवरी, 1990 ;
9.	111	तारीख 23 फरवरी, 1991 ;
10.	234	तारीख 15 मई, 1993 ;
11.	460	तारीख 17 सितंबर, 1994 ;
12.	53	तारीख 4 फरवरी, 1995 ;
13.	538	तारीख 9 फरवरी, 1995 ;

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th November, 2010

G.S.R. 901(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Secretariat Clerical Services Rules, 1962, namely:-

1. (1) These rules may be called the Central Secretariat Clerical Service (Amendment) Rules, 2010.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Secretariat Clerical Service Rules, 1962, -

   (i) for rule 5, the following rule shall be substituted, namely :-

   "5. Authorised sanctioned strength .- (1) The authorized sanctioned strength of the two grades of the service in each cadre as on the 3rd October, 2003, shall be as specified in the Second Schedule.

   (2) After the 3rd October, 2003, the authorised sanctioned strength of the two grades in each cadre shall be such as may be determined by the Central Government from time to time.";

   (ii) in rule 12, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

   "(1) All the vacant posts in the Lower Division Grade of the service as on the 3rd October, 2003 falling under direct recruitment quota (80% of which were hitherto filled on the basis of competitive examination held by the Staff Selection Commission and 5% on the basis of selection made by the Staff Selection Commission from amongst the outstanding sports-men) shall stand abolished and eighty five percent. of the vacancies falling in the aforesaid categories in the Lower Division Grade in each cadre on the 3rd October, 2003 or subsequently, shall continue to be abolished every year by the cadre controlling authorities till the authorised sanctioned strength in the grade is brought to a level of fifteen percent. of the authorised sanctioned strength as on 3rd

October, 2003 in each cadre unit and the remaining number of vacancies every year shall be filled in the Lower Division Grade, in each cadre unit, by appointment of Group 'C' employees having grade pay of Rs. 1800 borne on regular establishments working in the Ministries and offices participating in the Central Secretariat Clerical Service, in the following manner, namely: -

(a) seventy percent. of the said vacancies shall be filled on the basis of seniority, subject to rejection of the unfit, from amongst those Group 'C' employees who have rendered not less than three years' 'regular service' as Group 'C' employee in the posts with Grade Pay of Rs. 1800 having minimum qualification of 10^{th} standard pass or equivalent qualification as prescribed in model recruitment rules for Group 'C' posts.

(b) thirty percent of the said vacancies shall be filled on the basis of 'Limited Departmental Competitive Examination for Group 'C' staff' conducted by the Staff Selection Commission in which Group 'C' employees who have passed the 12^{th} standard examination from a recognised Board or equivalent and have rendered not less than three years' 'regular service' as Group 'C' employee having Grade Pay of Rs.1800 shall be eligible to participate.";

(iii) rule 12 A and rule 12 B shall be omitted;

(iv) in rule 17, in sub-rule (3), under the heading "II Lower Division Grade" and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

" II. LOWER DIVISION GRADE

The inter-se seniority of persons appointed on regular basis to the Grade shall be regulated in the following manner, namely:-

(a) those appointed under clause (a) of sub-rule (1) of rule 12 shall rank inter-se in the order of their seniority in the lower Grade;

(b) those appointed under clause (b) of sub-rule (1) of rule 12 shall rank inter-se in the order as recommended by the Staff Selection Commission;

(c) the inter-se seniority of persons referred to in clauses (a) and (b) shall be regulated according to the quota fixed for each of the two groups, in accordance with a roster maintained by each cadre authority, starting with seven persons referred to in clause (a) followed by three from clause (b) above and so on.";

(v) for the Second Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely:-

"SECOND SCHEDULE
(See sub-rule (1) of rule 5)

Authorised sanctioned strength of the two grades of the Central Secretariat Clerical service in each cadre unit as on 03.10.2003

Sl. No.	Name of Ministry/Department	Sanctioned strength of Upper Division Clerks of Central Secretariat Clerical Service as on 3.10.2003	Sanctioned strength of Lower Division Clerks of Central Secretariat Clerical Service as on 3.10.2003
1	Agriculture and Co-operation	243	247
2	Civil Aviation	86	86
3	Coal	17	17
4	Commerce	184	185
5	Corporate Affairs	29	29
6	Consumer Affairs	18	17
7	Defence	197	198
8	Education	246	246
9	Environment and Forests	71	72
10	Expenditure	371	364
11	Feertilizers	51	54
12	Food and Public Distribution	83	82
13	Health and Family Welfare	237	237
14	Home Affairs	550	568
15	Industrial Policy and Promotion	244	237
16	Information and Broadcasting	421	420
17	Labour	164	164
18	Legal Affairs	62	63
19	Mines	29	30
20	Petroleum and Natural Gas	27	27
21	Planning Commission	99	94
22	Posts	82	83
23	Power	163	163
24	Rural Development	54	53
25	Road Transport and Highways	88	78
26	Science and Technology	71	70
27	Steel	31	32
28	Supply	255	254
29	Social Justice and Empowerment	61	64
30	Telecommunication	212	217
31	UPSC	260	259
32	Urban Development	472	488
33	Water Resources	199	199
	Total	5377	5397"

[F. No. 9/1/2005-CS-II]

RAJIV MANJHI, Dy. Secy.

FOOTNOTE : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 20th September, 1962 vide GSR No. 1306 dated the 28th September, 1962 and subsequently amended by the following notifications:

S.No.	Notification Number GSR	Date
1	2	3
1.	231	dated the 21st February, 1976
2.	1182	dated the 30th September, 1978
3.	451	dated the 5th January, 1980
4.	5	dated the 26th April, 1980
5.	926	dated the 13th September, 1980
6.	161	dated the 18th February, 1984
7.	463	dated the 21st June, 1986
8.	56	dated the 3rd February, 1990
9.	111	dated the 23rd February, 1991
10.	234	dated the 15th May, 1993
11.	460	dated the 17th September, 1994
12.	53	dated the 4th February, 1995
13.	538	dated the 9th February, 1995

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 2010

सा.का.नि. 902(अ).— केन्द्रीय सरकार, केंद्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा नियम, 1962 के नियम 12 के उपनियम (4) के उपबंधों के अनुसरण में और केंद्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा (समूह "घ" कर्मचारिवृंद के लिए अवर श्रेणी ग्रेड अर्हक परीक्षा) विनियम, 1969 को, उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, अधिक्रांत करते हुए, निम्नलिखित विनियम बनाती हैं, अर्थात : -

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-** (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम समूह "ग" कर्मचारिवृंद के लिए अवर श्रेणी ग्रेड सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा (ग्रेड वेतन 1800 रुपए) विनियम, 2010 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2.**परिभाषाएं** :- (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) **"उपलब्ध रिक्तियां"** से सेवा के अवर श्रेणी ग्रेड में ऐसी रिक्तियां अभिप्रेत है जिन्हें इस परीक्षा के परिणामों पर भरा जाना विनिश्चित है ;

(ख) **'निर्णायक तारीख'** से अभिप्रेत है -

(i) वर्ष के जनवरी के प्रथम दिन, यदि परीक्षा उक्त वर्ष के 1 जुलाई से पहले में आयोजित करने के लिए अधिसूचित की गई है ;

(ii) वर्ष के अगस्त के प्रथम दिन, यदि परीक्षा उस वर्ष के 1 जुलाई को या उसके पश्चात् आयोजित करने के लिए अधिसूचित की गई है ;

(ग) **"परीक्षा"** से केंद्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा के अवर श्रेणी ग्रेड में 1800 रुपए ग्रेड वेतन रखने वाले समूह "ग" कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा अभिप्रेत है ;

(घ) **"नियमित नियुक्त समूह 'ग' कर्मचारी"** से विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसरण में नियमित आधार पर केंद्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा में भाग लेने वाले किसी मंत्रालय या विभाग या सहबद्ध कार्यालय में किसी कर्मचारी की नियुक्ति अभिप्रेत है;

4374 GI/10-2

(ड) **"अनुसूचित जाति" और "अनुसूचित जनजाति"** के वही अर्थ हैं जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (24) और खंड (25) में है ।

(2) उन शब्द और पद जो इन विनियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है किंतु केन्द्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा नियम, 1962 में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उन नियमों में हैं ।

3. **परीक्षा कराना**--(1) भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, द्वारा समय-समय पर अधिसूचित रीति में कर्मचारी चयन आयोग द्वारा परीक्षा का संचालान किया जाएगा ।

(2) तारीखें जिसको और वह स्थान जहां परीक्षा आयोजित की जाएगी, कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियत किए जाएंगे ।

4. **पात्रता की शर्तें आदि-**

(1) ऐसे 1800 रुपए ग्रेड वेतन रखने वाले समूह "ग" में अस्थायी रूप से नियुक्त स्थायी या नियमित कर्मचारी जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते है परीक्षा में शामिल होने के पात्र होंगे :-

(क) **सेवा की अवधि-** उसे निर्णायक तारीख को 1800 रुपए ग्रेड वेतन सहित समूह "ग" कर्मचारी के रूप में तीन वर्ष से अन्यून नियमित सेवा की हो ।

टिप्पण 1 : कोई समूह "ग" कर्मचारी, जो सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से काडर से बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति पर है, भी परीक्षा में सम्मिलित होने का पात्र होगा, यदि वह अन्यथा पात्र हो ।

टिप्पण 2 : कोई समूह "ग" कर्मचारी, जो काडर से बाह्य पद पर नियुक्त है कुछ समय के लिए समूह "ग" में धारणाधिकार रखे हुए है, अंतरण पर अन्य सेवा में है, को भी परीक्षा में सम्मिलित होने का पात्र समझा जाएगा, यदि अन्यथा पात्र हो ।

(ख) आयु - उसे निर्णायक तारीख पर 45 वर्ष की आयु (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों की दशा में 50 वर्ष) से अधिक नही होना चाहिए :

परंतु केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त समय-समय पर व्यक्तियों के ऐसे प्रवर्गो के संबंध में अधिसूचित सीमा तक, और प्रत्येक प्रवर्ग के संबंध में अधिसूचित शर्तो के अधीन रहते हुए ऊपरी आयु में छूट प्रदान कर सकेगी ।

(ग) शैक्षिक अर्हताएं - वह किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं स्तर या समकक्ष की परीक्षा उत्तीर्ण हो ।

5. **पात्रता के बारे में विनिश्चय**-- परीक्षा में प्रवेश के लिए किसी अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के बारे में केन्द्रीय सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का विनिश्चय अंतिम होगा और किसी ऐसे अभ्यर्थी को जिसका प्रवेश प्रमाणपत्र कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जारी नहीं किया गया है, परीक्षा में सम्मिलित नहीं होगा ।

6. **परिणाम**--(1) अभ्यर्थियों के नाम, जिन पर कर्मचारी चयन आयोग द्वारा परीक्षा के परिणामों के आधार पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त होने के लिए विचार किया जाता है, उन्हें एकल सूची में और विनियम 7 के उपविनियम (3) के उपबंधों के अध्यधीन तथा उनकी नियुक्तियों के लिए उक्त क्रम से जितनी संख्या में नियुक्तियों का किया जाना विनिश्चय किया गया है, सिफारिश की जाएगी ।

(2) व्यष्टिक अभ्यर्थियों को परीक्षा के परिणामों की संसूचना का प्ररूप और रीति का विनिश्चय कर्मचारी चयन आयोग का होगा जो परिणामों के संबंध में व्यष्टिक अभ्यर्थियों से पत्र व्यवहार नहीं करेगा ।

7. **नियुक्तियां**--(1) परीक्षा में सफलता नियुक्ति के लिए कोई अधिकार प्रदत्त नहीं करेगी जब तक कि काडर प्राधिकारी का, ऐसी जांच के पश्चात्, जिसे वह आवश्यक समझें, समाधान हो जाता है कि अभ्यर्थी सेवा में अपने चरित्र को ध्यान में रखते हुए चयन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है :

परंतु यह विनिश्चय कि क्या आयोग द्वारा चयन के लिए सिफारिश किए गए कोई विशिष्ट अभ्यर्थी उपयुक्त नहीं है, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के साथ परामर्श से किया जाएगा ।

(2) किसी अभ्यर्थी को सेवा के अवर श्रेणी ग्रेड में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह ऐसी चिकित्सीय जांच, जिसे केन्द्रीय सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग विहित करे, के पश्चात् किसी मानसिक या शारीरिक त्रुटि से मुक्त पाया गया हो जिससे सेवा के कर्तव्यों के निर्वहन में व्यवधान उत्पन्न होने की संभावना हो ।

(3) परीक्षा के परिणामों पर सेवा के अवर श्रेणी ग्रेड में नियुक्ति, इस निमित्त केन्द्रीय सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसरण में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और निःशक्त व्यक्तियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण के अधीन रहते हुए नियुक्ति के लिए कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सिफारिशों के रूप में योग्यता क्रम में उपलब्ध रिक्तियों की सीमा तक नियुक्त किया जाएगा ।

4. (i) अभ्यर्थियों को उनकी नियुक्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित अंग्रेजी या हिन्दी में आवधिक टंकण परीक्षाओं में से एक परीक्षा अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट (श.प्र.मि.) या हिन्दी में 25 (श.प्र.मि.) की न्यूनतम

गति से हस्तचालित टाइपराइटर पर अथवा अंग्रेजी में 35 श.प्र.मि. या हिन्दी में 30 श.प्र.मि. की टंकण गति से कम्प्यूटर पर [35 श.प्र.मि. और 30 श.प्र.मि. प्रत्येक शब्द के लिए 5 कुंजी दाब के औसत पर 10500 कुंजी दाब प्रति घंटा (कु.दा.प्र.घं.)/9000 कु.दा.प्र.घं. के तत्सम है] अथवा राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित हिन्दी टंकण परीक्षा इन नियमों के अनुसार तब उत्तीर्ण करनी होगी जब वह पहले से ही उत्तीर्ण न की हो, जिसके न हो सकने पर कोई भी वार्षिक वेतनवृद्धियां तब तक अनुज्ञात नही की जाएंगी, जब तक वे उक्त परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं कर लेते हैं ।

(ii) ऐसे अभ्यर्थी जो परिवीक्षा की अवधि के भीतर उक्त टंकण परीक्षा उत्तीर्ण नही करता है तो उसे अवर श्रेणी ग्रेड में नियुक्ति से पहले वाले पद उसके द्वारा धारित अधिष्ठायी नियुक्ति या अस्थायी पद से प्रतिवर्तित होने का दायी होगा ।

(iii) उपरोक्त खंड (i) और खंड (ii) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई अभ्यर्थी जिसे सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जैसे सिविल सर्जन, शारीरिक निःशक्ता के कारण टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने को स्थायी रूप से अनुपयुक्त घोषित किया है को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से परामर्श करके टंकण परीक्षा उत्तीर्ण की अपेक्षा से छूट दी जा सकेगी, उसे इस प्रकार छूट दी जाने की दशा में, ऐसी छूट की तारीख से खंड (i) और खंड (ii) के उपबंध उस पर लागू नही होंगे ।

3. **कदाचार के लिए शास्ति**--किसी अभ्यर्थी को जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नेम्नलिखित का दोषी घोषित किया गया है या किया गया था--

(i) किन्हीं साधनों द्वारा अपनी अभ्यर्थिता के लिए समर्थन प्राप्त किया हो; या

(ii) प्रतिरूपण; या

(iii) किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिरूपण उपाप्त करना; या

(iv) गढ़े दस्तावेज या वे दस्तावेज जो बिगाड़े गए हो, प्रस्तुत करना; या

(v) वह कथन करना जो गलत और मिथ्या है या तात्विक जानकारी को छिपाना; या

(vi) परीक्षा के लिए अपनी अभ्यर्थिता के संबंध में कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाना; या

(vii) परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग करना; या

(viii) परीक्षा कक्ष में कदाचार करना; या

(ix) पूर्वगामी उपविनियमों में विनिर्दिष्ट यथास्थिति सभी या किन्हीं कृत्यों को करने का प्रयत्न करना या, करने का दुष्प्रेरण करना तो वह व्यक्ति दांडिक अभियोजन के लिए स्वयं दायी होने के अतिरिक्त निम्नलिखित के लिए भी दायी होगा-

(क) कर्मचारी चयन आयोग द्वारा उस परीक्षा से निरर्हित होगा जिसके लिए वह अभ्यर्थी है; या

(ख) या तो स्थायी रूप से या किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए विवर्जित किया जाएगा;

(i) कर्मचारी चयन आयोग द्वारा किसी परीक्षा से या उसके द्वारा किए जाने वाले चयन से;

और

(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा उसके अधीन किसी नियोजन से उसके द्वारा,

(ग) समुचित नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही होना ।

[फा. सं. 9/1/2005-सी.एस. II]

राजीव मांझी, उप-सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th November, 2010

G.S.R. 902(E).— In pursuance of the provisions of sub-rule (4) of rule 12 of the Central Secretariat Clerical Service Rules, 1962 and in supersession of the Central Secretariat Clerical Service (Lower Division Grade qualifying Examination for Group 'D' staff) Regulations,1969 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following regulations, namely:-

1. **Short title and commencement.** - (1) These regulations may be called the Lower Division Grade Limited Departmental Competitive Examination for Group "C" Staff (Grade Pay of Rs. 1800) Regulations, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.-**

(1) In these regulations, unless the context otherwise requires, -

(a) **"available vacancies"** means the vacancies in the Lower Division Grade of the service which are decided to be filled on the result of the examination;

(b) "**crucial date**" means-

(i) the first day of January of the year, if the examination is notified to be held before the 1st July of that year;

(ii) the first day of the August of the year if the examination is notified to be held on or after the 1st July of that year;

(c) **"examination"** means a limited departmental competitive examination held by Staff Selection Commission for appointment of Group 'C' employees having Grade Pay of Rs. 1800 to the Lower Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service;

(d) **"regularly appointed Group 'C' employee"** means an employee appointed in any of the Ministry or Department or attached office in the Central Secretariat Clerical Service on a regular basis according to the prescribed procedure;

(e) **"Scheduled Castes" and "Scheduled Tribes"** shall have the meanings assigned to them by clause (24) and clause (25) of article 366 of the Constitution of India.

(2) Words and expressions used in these regulations and not defined but defined in the Central Secretariat Clerical Service Rules, 1962 shall have the meanings respectively assigned to them in the said rules.

3. **Holding of examination.** - (1) The examination shall be conducted by the Staff Selection Commission in the manner notified from time to time by the Government of India in the Department of Personnel and Training in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions.

(2) The dates on which and the places at which the examination shall be held, shall be fixed by the Staff Selection Commission.

4. **Conditions of eligibility etc.** - (1) Any permanent or regularly appointed temporary Group 'C' employee having Grade Pay of Rs. 1800 who satisfies the following conditions shall be eligible to appear at the examination: -

(a) **Length of service**: He should have on the crucial date, rendered not less than three years' regular service as a Group 'C' employee with Grade Pay of Rs. 1800.

Note I: A Group 'C' employee who is on deputation to ex-cadre post with the approval of the competent authority shall be eligible to be admitted to the examination, if otherwise eligible.

Note II: A Group 'C' employee who has been appointed to an ex-cadre post or to another service on transfer and continues to have a lien in the Group 'C' post for the time being shall also be eligible to be admitted to the examination, if otherwise eligible.

(b) **Age :** He should not be more than 45 years (50 years in case of the candidate belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes) of age on the crucial date:

Provided that the upper age limit may be relaxed in respect of such categories of persons as may be notified from time to time in his behalf by the Central Government to the extent and subject to the conditions notified in respect of each category.

(c) **Educational qualifications:** He must have passed the 12th standard examination from a recognised Board or equivalent.

5. **Decision as to eligibility.**- The decision of the Central Government in the Department of Personnel and Training as to eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final and no candidate to whom a certificate of admission has not been issued by the Staff Selection Commission shall be admitted to the examination.

6. **Results.**- (1) The names of the candidates who are considered by the Staff Selection Commission to be suitable for appointment on the results of the examination shall be arranged in a single list in order of and subject to the provisions of sub-regulation (3) of regulation 7 and they shall be recommended for appointment in that order up-to the number of appointments decided to be made.

(2) The form and manner of communication of the results of the examination to individual candidates shall be decided by the Staff Selection Commission who shall not enter into any correspondence with the individual candidates regarding results.

7. **Appointments**:- (1) Success in the examination confers no right to selection unless the cadre authority is satisfied, after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate, having regard to his conduct in service, is suitable in all respect for selection:

Provided that the decision as to whether a particular candidate recommended for selection by the Commission is not suitable shall be taken in consultation with the Department of Personnel and Training.

(2) No candidate shall be appointed to the Lower Division Grade of the service unless, he is, after such medical examination as the Central Government in the Department of Personnel and Training may prescribe, found to be free from any mental or physical defect which is likely to interfere with the discharge of the duties of the service.

(3) Appointments to the Lower Division Grade of the service on the results of the examination shall be made to the extent of the available vacancies in the order of merit as recommended by the Staff Selection Commission for appointment, subject to the reservations for the candidates of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, ex-servicemen and physically handicapped persons, in accordance with the orders issued from time to time by the Central Government in the Department of Personnel and Training in this behalf.

(4) (i) The candidates shall have to pass if not already passed one of the periodical type-writing tests in English or Hindi held by Staff Selection Commission at a minimum speed of 30 words per minute (w.p.m) in English or 25 w.p.m. in Hindi on manual typewriter or typing speed of 35 w.p.m. in English or 30 w.p.m. in Hindi on computer [35 w.p.m. and 30 w.p.m. correspond to 10500 Key Depressions Per Hour (KDPH)/9000 KDPH on an average of 5 key depressions for each word] or Hindi typing test in accordance with these norms, held by the Department of Official Language within a period of one year from the date of appointment, failing which no annual increments shall be allowed to them until they have passed the said test.

(ii) The candidates who do not pass the said type-writing test within the period of probation shall be liable to be reverted to their substantive appointment or temporary posts held by them before their appointment to Lower Division Grade.

(iii) Notwithstanding anything contained in clauses (i) and (ii) above, a candidate, who has been declared by the competent medical authority, i.e., the Civil Surgeon, to be permanently unfit to pass the type-writing test because of a physical disability, may in consultation with the Department of Personnel and Training be exempted from the requirement of passing the type-writing test and, in the event of his being so exempted, the provisions of clauses (i) and (ii) shall cease to be applicable to him from the date of such exemption.

8. **Penalty for misconduct.-** A candidate who is or has been declared by the Staff Selection Commission to be guilty of:-

(i) obtaining support for his candidature by any means; or

(ii) impersonating; or

(iii) procuring impersonation by any person; or

(iv) submitting fabricated documents or documents which have been tampered with; or

(v) making statements which are incorrect or false, or suppressing material information; or

(vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination; or

(vii) using unfair means in the examination hall; or

(viii) misbehaving in the examination hall; or

(ix) attempting to commit or, as the case may be, abetting the commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses, may in addition to rendering himself liable to criminal prosecution, be liable,-

(a) to be disqualified by the Staff Selection Commission from the examination for which he is a candidate; or

(b) to be debarred either permanently or for a specified period-

(i) by the Staff Selection Commission, from any examination or selection held by them;

(ii) by the Central Government from any employment under them; and

(c) to disciplinary action under the appropriate rules.

[F. No. 9/1/2005-CS-II]

RAJIV MANJHI, Dy. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.